

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1, सुलतानपुर।

सत्र वाद संख्या-1/2021

राज्य

बनाम

कपूर चन्द्र राय

आरोप

मै अभय श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1, सुलतानपुर आप अभियुक्त कपूर चन्द्र राय को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ-

1- यह कि दिनांक 20.11.2020 को समय करीब 14.10 बजे बहद स्थान करौदिया ओवर ब्रिज के नीचे, रेलवे लाइन के पास थाना कोतवाली नगर, जिला सुलतानपुर में पुलिस पार्टी द्वारा दौरान तलाशी आपके पास से 1 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 8/20 N.D.P.S Act के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त मामले में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

Sd/-

(अभय श्रीवास्तव)

JO Code-UP6216

दिनांक-23.11.2023

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 1, सुलतानपुर।

आरोप अभियुक्त को पढ़ कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

Sd/-

(अभय श्रीवास्तव)

JO Code-UP6216

दिनांक-23.11.2023

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0 1, सुलतानपुर।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1, सुलतानपुर।

सत्र वाद संख्या-1/2021

राज्य

बनाम

कपूर चन्द्र राय

दिनांक-23.11.2023

आज पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त कपूर चन्द्र राय मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन पक्ष को आरोप के बिन्दु पर सुना। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा- 8/20 N.D.P.S Act के अन्तर्गत आरोप बनाए जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त धारा में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना किया। पत्रावली दिनांक 14.12.2023 को साक्ष्य हेतु नियत की जाती है।

Sd/-

(अभय श्रीवास्तव)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या-1, सुलतानपुर।

दिनांक-23.11.2023